न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 135/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/281**
दायर दिनांक :– 20.06.2025 **निर्णय दिनांक :– 11.03.2026**

1. हनुमानराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. बाबूराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. हरिराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. ओमप्रकाश पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. श्रवणराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. किशनी पत्नी जोराराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र जीयाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. कलावती पुत्री जीयाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदीं
3. हरलाल पुत्र जीयाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. शीशपाल बिश्नोई पुत्र जीयाराम जाति विश्नोई नि. केलनसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
5. सुभाष पुत्र जीयाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. तुलछी पत्नी जीयाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मोहम्मद रफीक अधि. प्रति.सं. 1 ता 6
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय से पेश किया कि ग्राम केलनसर पटवार हल्का केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 321 रकबा 10.8617 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति जीयाराम पुत्र बादरराम द्वारा आपने नाम दर्ज भूमि खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 10.8617 हैक्टेयर भूमि में से अपने बंट की 1/2 हिस्सा यानि 33–11 बीघा भूमि तथा अन्य भूमि

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

का विनिमय विलेख वादीगण के पक्ष में दिनांक 03.09.2019 को निष्पादित किया गया जो विनिमय विलेख उप पंजीयक घंटियाली में दिनांक 04.09.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 37 पृष्ठ संख्या 196 कम संख्या 201903088101233 पर पंजीबद्व किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति जीयाराम पुत्र बादरराम द्वारा उसी दिन मौके पर चल कर वादीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया था उस दिन से लेकर आज दिन तक वादीगण का कब्जा व काश्त लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने अपनी विनिमय से प्राप्त भूमि पर रहवासीय ढाणियां पानी के टांके व पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है तथा वादीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। वादीगण ने उन्ही दिनों तत्कालीन पटवारी को विनिमय विलेख की छाया प्रति राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पक्ष में नामान्तरकरण भरने हेतु दी थी तब तत्कालीन पटवारी द्वारा नामान्तरकरण वादीगण के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत करवा दिया लेकिन उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 33–11 बीघा भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के पक्ष में भरने से शेष रह गया। वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति जीयाराम पुत्र बादरराम का देहान्त हो चुका है और जीयाराम के फौत होने पर मुतवफी जीयाराम का विरासत नामान्तरकरण संख्या 1204 मौजा केलनसर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम से भरा जाकर स्वीकृत हो गया है। इसिलये वादीगण ग्राम केलनसर पटवार हल्का केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 10.8617 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा भूमि माफिक विनिमय विलेख दिनांक 04.09.2019 अनुसार अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश कर बताया कि राजस्व ग्राम केलनसर के खसरा नम्बर 321 वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति ने अपने जीवनकाल में दिनांक 03.09.2019 को अपना 1/2 हिस्सा वादीगण को विनिमय किया गया था। जिसका नामान्तरकरण दर्ज नही हुआ और विनिमयकर्ता जीयाराम पिता बादरराम फौत हो जाने से मृतक के वारिसान के नाम खाता दर्ज हो जाने से विनिमय का नामान्तरकरण दर्ज नहीं है। ग्राम केलनसर के खसरा नम्बर 321 रकबा 10.8617 हैक्टेयर भूमि में न्यायालय द्वारा अगर उक्त भूमि में विनिमय का नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिये जाते है तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की और से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण जवाब पेश नहीं करना चाहते है। वादीगण के वाद को माफिक इस्तदुआ स्वीकार किये जाने में सहमति प्रदान की गई। वादी संख्या 5 श्रवणराम ने अपने साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया तथा इनके बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

Satya

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि ग्राम केलनसर पटवार हल्का केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 321 रकबा 10.8617 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति जीयाराम पुत्र बादरराम द्वारा आपने नाम दर्ज भूमि खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 10.8617 हैक्टेयर भूमि में से अपने बंट की 1/2 हिस्सा यानि 33-11 बीघा भूमि तथा अन्य भूमि का विनिमय विलेख वादीगण के पक्ष में दिनांक 03.09.2019 को निष्पादित किया गया जो विनिमय विलेख उप पंजीयक घंटियाली में दिनांक 04.09.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 37 पृष्ठ संख्या 196 कम संख्या 201903088101233 पर पंजीबद्व किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति जीयाराम पुत्र बादरराम द्वारा उसी दिन मौके पर चल कर वादीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया था उस दिन से लेकर आज दिन तक वादीगण का कब्जा व काश्त लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने अपनी विनिमय से प्राप्त भूमि पर रहवासीय ढाणियां पानी के टांके व पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है तथा वादीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। वादीगण ने उन्ही दिनों तत्कालीन पटवारी को विनिमय विलेख की छाया प्रति राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पक्ष में नामान्तरकरण भरने हेतु दी थी तब तत्कालीन पटवारी द्वारा नामान्तरकरण वादीगण के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत करवा दिया लेकिन उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 33-11 बीघा भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के पक्ष में भरने से शेष रह गया। वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति जीयाराम पुत्र बादरराम का देहान्त हो चुका है और जीयाराम के फौत होने पर मुतवफी जीयाराम का विरासत नामान्तरकरण संख्या 1204 मौजा केलनसर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम से भरा जाकर स्वीकृत हो गया है। इसिलये वादीगण ग्राम केलनसर पटवार हल्का केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 10.8617 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा भूमि माफिक विनिमय विलेख दिनांक 04.09.2019 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने बहस में कथन किया कि वादीगण को वाद को माफिक इस्तदुआ स्वीकार किये जाने का आदेश फरमावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि ग्राम केलनसर के खसरा नम्बर 321 रकबा 10.8617 हैक्टेयर 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पित व प्रतिवादी संख्या 6 के पति के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार जीयाराम पुत्र बादरराम ने अपने 1/2 हिस्सा की भूमि वादीगण के पक्ष में विनिमय विलेख दिनांक 03.09.2019 को निष्पादित करवाया गया जो वाद पत्र के संलग्न विनिमय विलेख की चित्र प्रति से साबित है। विनिमय विलेख दिनांक 03.09.2019 के अनुसार खसरा नम्बर 291 रकबा 37-19 बीघा

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत किया गया परन्तु खसरा नम्बर 321 रकबा 33–11 बीघा का नामान्तरकरण माफिक विनिमय विलेख वादीगण के नाम दर्ज होने से शेष रह गया। विनिमयकर्ता जीयाराम पुत्र बादरराम फौत होने पर विनिमय की गई भूमि का विरासत नामान्तरकरण संख्या 1204 मौजा केलनसर इनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज कर दिया जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। वादीगण के पक्ष में निष्पादित विनिमय विलेख दिनांक 03.09.2019 किसी भी न्यायालय से आक्षेपित नहीं है। ग्राम केलनसर खसरा नम्बर 321 रकबा 10.8617 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा माफिक विनिमय विलेख दिनांक 04.09.2019 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेजात से साबित किया है। वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम केलनसर पटवार हल्का केलनसर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 321 रकबा 10.8617 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा भूमि माफिक विनिमय विलेख दिनांक 04.09.2019 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी))

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी : सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. हनुमानराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. बाबूराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. हरिराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. ओमप्रकाश पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. श्रवणराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. किशनी पत्नी जोराराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र जीयाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. कलावती पुत्री जीयाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. हरलाल पुत्र जीयाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. शीशपाल बिश्नोई पुत्र जीयाराम जाति विश्नोई नि. केलनसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
5. सुभाष पुत्र जीयाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. तुलछी पत्नी जीयाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 135/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम केलनसर पटवार हल्का केलनसर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 321 रकबा 10.8617 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा भूमि माफिक विनिमय विलेख दिनांक 04.09.2019 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें।नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

Satya..

सहायक कलक्टर

बाप

वसूल याबी तक   को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.03.2026 को जारी की गई।

(सत्य नारायण, R.A.S)
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।